न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 132/2019

अनवान : –

1. अब्दुल सतार पुत्र सुरजे खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बैगा पत्नी असमान खां जाति मुसलमान साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. सालमदीन 3. लालेखा 4. गजी 5. ताज 6. सरोज पुत्र व पुत्रीयान असमान खां जाति मुसलमान साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. हरून 8. पप्पू 9. गोगी पि0 आलमदीन पुत्र असमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
10. अकरम 11. सलमा 12. भूरी पुत्र पुत्रीयान असमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
13. कसमीन 14. गुलजार पि0 नूरजाह जाति मुसलकान साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
15. दलवीर 16. जुले खां 17. गुडी पुत्र व पुत्रीयान नूरजहा जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
18. लाले खां 19. अदरीश 20. दलमीर 21. नवाब 22. इकबाल पि जगीर खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
23. रूकसाना 24. कुरसेदा 25. हलीमा 26. सलीमा पुत्रीयान जगीर खां जाति मुसलमान साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
27. कनोज पत्नी सदीक जाति मुसलमान साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
28. आमीन 29. बली मोहम्मद 30. सोना पि0 सदीक जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
32. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
33. विजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर के खाता सं 53/52 भूमि के ख.न. 219 की 1.6440 हैक्टर भूमि ख.न. 233/268 की 0.2780 हैक्टर भूमि कुल 1.9220 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके सुरजे खां वल्द रावत खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता से 53/52 के खै.न. 219 की 1.6440 हैक्टर भमि ख.न. 233/268 की 0.2780 हेक्टर भूमि कुल 1.9220 हैक्टर भूमि में 0.59582 हैक्टर भूमि का बैयनामा जो विजेन्द्र क्रेता के पक्ष में किया गया जो वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होने से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हक्क के मुकाबले शुन्य व इग्नोर किये जाने योग्य है। नूरजाह, असमान खां जगीर खां व सदीक ने वादी के पिता के कतई गलत तौर से वारिसान बनकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अनुचित व गलत तौर से दर्ज

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा लिया जबकि उनका वाद में कोई हक अधिकार नहीं है तथा वाद भूमि का कब्जा भी पूर्व में सुरजे खा वल्द रावत खां व अब उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का है तथा वर्तमान इन्द्राजात वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शुन्य व कतई गलत है व बेअसर है इसलिए प्रतिवादीगण के मौरूसान का नाम कलमजन करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण के मौरूसान के नाम कृषि भूमि दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि अपने नाम विरास्तन दर्ज करवाने व कृषि ऋण उठाने पर आमादा है तथा वाद भूमि को अन्यत्र मुन्तकिल करने हेतु ग्राहक तलाशने लगे है यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होती है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवापाने का मजाज है। वाद भमि का कब्जा भी पूर्व में सरजे खा वल्द रावत खां व अब उनके वारिसान सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण का है तथा वर्तमान इन्द्राजात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले शुन्य व कतई गलत है व बेअसर है इसलिए गैरसायलान के मौरूसान का नाम कलमजन करवापाने का अधिकारी है। गैरसायलान के मौरूसान के नाम कृषि भूमि दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि अपने नाम विरास्तन दर्ज करवाने व कृषि ऋण उठाने पर आमादा है तथा वाद भूमि को अन्यत्र मुन्तकिल करने हेतु ग्राहक तलाशने लगे है यदि गैरसायलान अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होती है इसलिए सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवापाने का मजाज है।

लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर के खाता सं. 53/52 भूमि के ख.न. 219 की 1.6440 हैक्टर भूमि ख.न. 233/268 की 0.2780 हैक्टर भूमि कुल 1.9220 हैक्टर भूमि को गैरसायलान रहन / बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता स0 53/52 के ख0न0 219 की 1.6440 हैक्ट एवं ख0न0 233/268 की 0.2780 हेक्ट कुल 1.9220 हैक्ट भूमि, में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि के सम्वत 2012 में सुरजे खां खातेदार थे एवं सम्वत 2029 ता 38 तक सुरजे खां के नाम भूमि दर्ज रही है परन्तु नूरजहा, जगीर खां, सदीखा असमान खां ने सुरजे खां की वल्दियत दर्ज करवा ली जबकि ये सुरजे खां के वारिसान ही नही थे। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त भूमि सम्वत 2012 में सुरजे खां के नाम दर्ज रही है नूरजहा, जगीर खां, सदीखा असमान खां ने सुरजे खां के नाम भूमि सही तौर से दर्ज हुई या गलत का निर्धारण मूल वाद में तय होना है एवं

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इसलिए उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता स0 53/52 के ख0न0 219 की 1.6440 हैक्ट एवं ख0न0 233/268 की 0.2780 हेक्ट कुल 1.9220 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27/07/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर